न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 122/2016

1 रामनिवास पुत्र स्व. हरदेवाराम जाति जाट निवासी मदनसर तहसील मण्डावा व जिला झुन्झुनूं। मृतक
1/1 राजीव पुत्र
1/2 संदीप पुत्र
1/3 सुगणा पत्नी रामनिवास जाति जाअ निवासी मदनसर कानसुजिया का बास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं हाल बसन्त बिहार झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
2 चन्द्रावली पत्नी स्व. हरदेवाराम जाति जाट निवासी मदनसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 कुरड़ाराम मृतक।
1 रामकरण पुत्र
2 कैलाश पुत्र
3 बिमला पत्नी कुरड़ाराम जाति दारोगा निवासी कुमास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
4 रूकमणी पुत्री कुरड़ाराम पत्नी रतनसिंह जाति दारोगा निवासी लोसणा तहसील व जिला चुरू।
5 सन्तोष पुत्री कुरड़ाराम पत्नी बलदेवसिंह जाति दारोगा निवासी लोसणा तहसील व जिला चुरू।
6 सरोज पुत्री कुरड़ाराम पत्नी सवाईसिंह जाति दारोगा निवासी उदावास तहसील व जिला झुन्झुनूं।
7 बाबुलाल पुत्र गिरधारी
8 सन्तकुमार पुत्र गिरधारी
9 शान्ति देवी पत्नी गिरधारी
10 मधु पुत्री गिरधारी जाति दारोगा निवासी कुमास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

11 संतोष देवी पत्नी भगवानसिंह जाति जांगिड़ निवासी कुमास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
12 रघुवीर पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी कुमास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
13 मोहन पुत्र रंगलाल जाति दारोगा निवासी कुमास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं। मृतक
13/1 मनी पत्नी
13/2 छगन पुत्री
13/3 मन्जु पुत्री
13/4 सत्यपाल सिंह पुत्र मोहन जाति दारोगा निवासी कुमास तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।
14 राजेश पुत्र हरदेवा जाति जाट निवासी मदनसर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील बखिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2015
बउनवानी मुकदमा कुरड़ाराम वगै. बनाम बाबुलाल वगै.
मु.नं. 58/2009 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं

अपील संख्या 07/2020

1 श्रीमती बाला देवी आयु 67 साल पत्नी किशनसिंह जाति जाट निवासी मदनसर तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 श्रीमती बिमला देवी पत्नी कुरड़ाराम
2 रामकरण सिंह पुत्र स्व. कुरड़ाराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3 कैलाश पुत्र स्व. कुरड़ाराम
जाति समस्त दारोगा निवासीगण कुमास (कुमावास) तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
4 श्रीमती रूकमणी पुत्री स्व. कुरडाराम पत्नी रतनसिंह जाति दारोगा निवासी लोसणा बड़ा तहसील व जिला चुरू राज.।
5 श्रीमती संतोष पुत्री स्व. कुरड़ाराम पत्नी बलदेव सिंह जाति दारोगा निवासी लोसणा बड़ा तहसील व जिला चुरू राज.।
6 श्रीमती सरोज पुत्री स्व. कुरड़ाराम पत्नी सवाईसिंह जाति दारोगा निवासी उदावास तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
7 बाबूलाल पुत्र स्व. गिरधारी
8 संतकुमार पुत्र गिरधारी
9 मु. मधु पुत्री स्व. गिरधारी
10 मु. शान्ति देवी पत्नी स्व. गिरधारी
11 मोहन पुत्र रंगलाल मृतक
11/1 मन्नी देवी पत्नी स्व. मोहन
11/2 सतपाल पुत्र स्व. मोहन
11/3 छगन कंवर पुत्री स्व. मोहन
11/4 मंजु पुत्री स्व. मोहन जाति समस्त दारोगा निवासीगण कुमास (कुमावास) तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
12 मु. सन्तोष पत्नी भगवान सिंह जाति जांगिड़ निवासी कुमास (कुमावास) तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
13 रघुवीर पुत्र खेमाराम जाति जाट निवासी कुमास (कुमावास) तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।
14 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं जिला झुन्झुनू दावा उनवानी कुरड़ाराम बनाम बाबूलाल वगै. दावा बाबत विभाजन घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा मु.सं. 58/2009 निर्णय डिक्री दिनांक 24.07.2015
संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.10.2015

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल , अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—4/4/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं द्वारा मुकदमा नम्बर 58/2009 में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2015 व 05.10.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पति व रेस्पोडेन्टस संख्या 2 से 6 के पिता कुरड़ाराम ने रेस्पोडेन्ट संख्या 7 से 14 के विरूद्व विचारण न्यायालय के यहां एक दावा जमीन हाल खसरा नम्बर 681, 981/819, 681/820, 689, 689/817, 689/818, 690/783, 690/810, 690/816 कुल किता 9 कुल रकबा 3.86 हैक्टेयर सरहद मौजा कुमास एवं जमीन हाल खसरा नम्बर 683, 684, 690, 690/782 कुल किता 4 कुल रकबा 3.63 हैक्टेयर सरहद मौजा कुमास के बाबत किया। विचारण न्यायालय ने उक्त दावा को बहक स्व. कुरडाराम निर्णित कर डिक्री किया। अपीलान्ट जमीन हाल खसरा नम्बर 683, 684, 690, 690/782 कुल किता 4 कुल रकबा 3.63 हैक्टेयर सरहद मौजा कुमास की 1/4 हिस्से की कोटिनेन्ट है एवं काबिज काश्त है। निर्णय व डिक्री पारित होने के रोज अपीलान्ट उक्त जमीन की सहखातेदार काश्तकार रही है। जिसकी जानकारी तमाम रेस्पोडेन्टस व स्व. कुरडाराम को रही है। अपीलान्ट को बिना पक्षकार बनाये उक्त निर्णय व डिक्री पारित करवाया गया है। निर्णय डिक्री जैर बहस से अपीलान्ट प्रभावित है। इस कारण अपीलान्ट की ओर से उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2015 व संशोधित निर्णय दिनांक 05.10.2015 को अपास्त करवाने के लिए यह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 07/2020 व 122/2016 धारा 5 व धारा 96 के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट रिकार्डेड खातेदारी काश्तकार है। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे है। अतः धारा 96 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावें। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की पूर्व में जानकारी नहीं थी। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जावें। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया बिना अपनाये, दीवानी प्रकिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम को बिना अपनाये निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित किया है जो काबिले खारीज है। दावा के वादी कुरड़ाराम का देहान्त दिनांक 10.04.2010 को हुआ। दिनांक 08.07.2010 को विचारण न्यायालय के यहां कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश हुआ। विचारण न्यायालय के यहां दिनांक 08.07.2010 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी पेश हुआ। विचारण न्यायालय ने उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को तय किये बिना ही निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। कानून से वादी कुरड़ाराम के वारिसानों को रिकार्ड पर लिये बिना मरे हुये व्यक्ति के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित नहीं की जा सकती। विचारण न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत हुआ उसके आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय के यहां दावा संख्या 131/2003 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2004 का हवाला दिया परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना को नजरअंदाज किया। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित की है जो काबिले खारिज है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर बहस स्पीकिंग नहीं है निर्णय व डिक्री जैर बहस के कोई आधार नहीं है। दावा की प्लीडिंग साबित नहीं की गई। वादी पक्ष की तरफ से कोई सशपथ साक्ष्य पेश नही हुई। दस्तावेज प्रदर्शित नहीं हुये। विचारण न्यायालय के यहां दावा दिनांक 09.04.2009 को पेश हुआ, जो दिनांक 04.05.2009 को दर्ज रजिस्टर हुआ। दिनांक 13.05.2009 को जमीन हाल खसरा नम्बर 683, 684, 690,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

690/782, कुल किता 4 कुल रकबा 3.63 हैक्टेयर सरहद मौजा कुमास में से 1/4 हिस्से की टिनेन्सी राईट्स रिकार्डेड खातेदार मोहन (रेस्पोडेन्ट नम्बर 11) से अपीलान्ट ने पंजीकृत विक्रय विलेख के मार्फत क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। दावा का वादी कुरड़ाराम उक्त बेचाननामा में गवाह रहा है। इस प्रकार उक्त बेचान की वादी कुरडाराम को जानकारी रही है, तथा राजस्व रिकार्ड सही होने की स्वीकृति रही है। इसके वाबजूद भी अपीलान्ट को दावा में बिना पक्षकार बनाये निर्णय व डिक्री जैर बहस पारित करवाया है। राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों को सही होना मानकर दावा के वादी ने अपीलान्ट के विक्रय पत्र पर बतौर साक्षी हस्ताक्षर किये है। इस प्रकार दावा का वादी व उसके वारिसान विबन्ध के सिद्धान्त से बाधित है मुकर नहीं सकते। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2007(1) पेज 260, आरबीजे 1996 (3) पेज 11 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन के उपरांत प्रकरण के तथ्य, गुणावगुण व न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये, दीवानी प्रकिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम की पालना किये विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर विधिक त्रुटि की है। दावा के वादी कुरड़ाराम का देहान्त दिनांक 10.04.2010 को हुआ। दिनांक 08.07.2010 को विचारण न्यायालय के यहां कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश हुआ। विचारण न्यायालय के यहां दिनांक 08.07.2010 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी पेश हुआ। विचारण न्यायालय ने उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को तय किये बिना ही विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित कर तथ्य व विधि की भूल की है। विधि अनुसार वादी कुरड़ाराम के वारिसानों को रिकार्ड पर लिये बिना मरे हुये व्यक्ति के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित नहीं की जा सकती। विचारण न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत हुआ उसके आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय के यहां दावा संख्या 131/2003 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2004 का हवाला दिया परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना को नजरअंदाज किया। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने बिना विधिक प्रकिया अपनाये निर्णय व डिक्री पारित कर विधिक त्रुटि की है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में वादी पक्ष की तरफ से कोई सशपथ साक्ष्य पेश नही हुई। दस्तावेज प्रदर्शित नहीं हुये। विचारण न्यायालय के यहां दावा दिनांक 09.04.2009 को पेश हुआ, जो दिनांक 04.05.2009 को दर्ज रजिस्टर हुआ। दिनांक 13.05.2009 को जमीन हाल खसरा नम्बर 683, 684, 690, 690/782, कुल किता 4 कुल रकबा 3.63 हैक्टेयर सरहद मौजा कुमास में से 1/4 हिस्से की टिनेन्सी राईट्स रिकार्डेड खातेदार मोहन (रेस्पोडेन्ट नम्बर 11) से अपीलान्ट ने पंजीकृत विक्रय विलेख के मार्फत क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। दावा का वादी कुरड़ाराम उक्त बेचाननामा में गवाह रहा है। इस प्रकार उक्त बेचान की वादी कुरडाराम को जानकारी रही है, तथा राजस्व रिकार्ड सही होने की स्वीकृति रही है। इसके वाबजूद भी अपीलान्ट को दावा में बिना पक्षकार बनाये विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाया है। राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों को सही होना मानकर दावा के वादी ने अपीलान्ट के विक्रय पत्र पर बतौर साक्षी हस्ताक्षर किये है। इस प्रकार वादी व उसके वारिसान विबन्ध के सिद्धान्त से बाधित है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया एवं गुणावगुण पर विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.04.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 4/4/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)